| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>**सुरेश सिंह बनाम राजस्थान सरकार**<br>**प्रार्थना पत्र संख्या जीसीएमएस नम्बर 2023/457** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 25.02.2026 | पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट अनुपस्थित। प्रकरण में आवाज दिलवाई गई फिर भी अपीलान्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही, प्रकरण में पुनः रूक रूककर आवाजें दिलवाई गई इसके उपरान्त भी अपीलान्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपील में गत पेशी दिनांक 17.12.2025 से लगातार अपीलांट अनुपस्थित रहा है तथा अपीलान्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा अपील को आगे चलाये जाने में रुची नही होना प्रतित होता हैं। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही होने के कारण अपीलान्ट की अपील अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।<br><br>अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।<br><br>(पूनम)<br>संभागीय आयुक्त,<br>जयपुर।<br>संभागीय आयुक्त जयपुर | |